न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
12/21	एफएसएस एक्ट, 2006	26/04/2021

1. प्रेमचन्द्र जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. मनोहर लाल गर्ग पुत्र श्री रामविलास गर्ग उम्र लगभग 64 वर्ष जाति महाजन (एफबीओ व मालिक) फर्म–आशु एजेन्सीज, बस स्टेण्ड के पास पंचायत समिति रोड़ बामनवास निवासी सत्यनारायण मन्दिर के पास , सुनार मौहल्ला, पट्टीकलां बामनवास।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 21.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 08.11.2020 को लगभग 11:45 ए.एम. पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फर्म–आशु एजेन्सीज, बस स्टेण्ड के पास पंचायत समिति रोड़ बामनवास पर बद्रीनारायण मीना, उपखण्ड अधिकारी बामनवास व गजानन्द लोधा ,वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुचॉ। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मनोहर लाल गर्ग पुत्र श्री रामविलास गर्ग बताया तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। मनोहर लाल गर्ग अपनी दुकान पर घी,तेल,वनस्पति, मसाले व अन्य खाद्य सामग्री आमजन को विक्रय करता है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में एक गत्ते के कार्टून में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु रिफाइंड पॉम ऑयल (डेयरी श्री ब्राण्ड) 1 लीटर पैक के 11 पैकिटों का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक मनोहर लाल गर्ग से उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइंड पॉम ऑयल (डेयरी श्री ब्राण्ड) 1लीटर पैक के पैकिटों में से शुद्धता एवं लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये।

आवेदक ने दुकान के विक्रय परिसर में एक गत्ते के कार्टून में रखे हुए खाद्य वस्तु रिफाइंड पॉम ऑयल (डेयरी श्री ब्राण्ड) 1 लीटर पैक के पैकिटों में से 4 पैकिट शुद्धता एवं लेबल की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 560/–रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, जिला-

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सिल बन्द किया गया था उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में लेपटकर सिल मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियॉ एक लिफाफें में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 09.11.2020 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो पैकिट भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2020/1980 दिनांक 01.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1941/एक्ट/2020/1879 दिनांक 20.11.2020 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाइंड पॉम ऑयल (डेयरी श्री ब्राण्ड) अवमानक प्रकृति का पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लधंन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। दुकान मालिक मनोहर लाल गर्ग द्वारा उक्त नमूने के संबंध में बार–बार पत्र लिखने के उपरान्त भी कोई खरीद बिल/इन्वॉइस/वांरटी उपलब्ध नहीं करायी गयी जो कि एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) का उल्लंधन है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1941/एक्ट/2020/ 1879 दिनांक 20.11.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का एवं उक्त नमूने के संबंध में बार–बार पत्र लिखने के उपरान्त भी कोई खरीद बिल/इन्वॉइस/वांरटी उपलब्ध नहीं करायी गयी जो कि एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 कमश धारा 51 व 58 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित । लेकिन अभियुक्त द्वारा अपने पक्ष में कोई जबाब/बहस का कथन न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया। अतःअभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1941/एक्ट/2020/ 1879 दिनांक 20.11.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विकय करने का एवं उक्त नमूने के संबंध में बार–बार पत्र लिखने के उपरान्त भी कोई खरीद बिल/इन्वॉइस/वांरटी उपलब्ध नहीं करवाने का दोषी पाया गया है। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये उक्त धाराओं में संयुक्त रूप से अभियुक्त को 1,00,000 (एक लाख) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...21.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी